

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी AJMER, राजस्थान

क्रमांक 1786

दिनांक 16.8.2018

संचित

प्रबंध समिति

DELHI PUBLIC SEC.SCHOOL

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-के उप- नियम(4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 27974 और इस सम्बन्ध में संस्था) विद्यालय के साथ किये गए पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, DELHI PUBLIC SEC.SCHOOL पता: NH-08, GOPAL SAGAR, AJMER ROAD, BEAWAR गाम पचायत/ शहरी स्थानीय निकाय KANAKHEDA घरेंक MASUDA को शैक्षिक सत्र 2018-19 से निम्नानुसार मान्यता भंजर करता है:-

मान्यता का प्रकार	नवीन मान्यता कक्षा (1-8)
मान्यता का माध्यम	English
मान्यता के वर्ष से ही कक्षा 7 एवं 8 के सचालन की अनुमति	Yes

- मान्यता क्रैक्सिल मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी हारह कक्षा 8 से आगे मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता अंतर्निहित नहीं होगी।
- विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का केंद्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधो का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस - पड़ोस के 'कमज़ोर वर्ग' और 'अभावग्रस्त समूह' से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक मृथक/वैकल्पिक याता-रखाना।
- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधो के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके भाता-पिता-या संरक्षक को किसी छंटाई (Screening) प्रक्रिया का पार नहीं बनाएगा।
- विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के पैरेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की पारा-15 के उपबंधो का पालन करेगा।

विद्यालय यह सन्दर्भित करेगा कि

- विद्यालय में प्रतिष्ठ किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
- कोई बालक शैक्षिक वर्ग या मानसिक उन्मीड़न का पात्र नहीं होगा।
- किसी बालक का उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बाह्य की परीक्षा उत्तोषण करना अप्रियता नहीं होगा।
- (V) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के लियम 23 के अधीन पथा, अधिकारित पत्र प्रदान किया जायेगा।

ता कोड : RJA JM24907

प्रारूप-2

कार्यालय: जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी AJMER, राजस्थान

- (V) 2009 के अधिनियम के उपबंधों के भनुसार निर्याग्यताविशेष आवश्यकता के तिदर्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए;
- (VI) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा(1) के अधीन ग्राहित न्यूनतम अहताओं सहित भर्ती किये जाए;
- (VII) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा(1) के अधीन तिनिदेष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और
- (VIII) अध्यापक स्वयं को निम्नों अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।
7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम (Curriculum) के आधार पर पाठ्य विवरण(Syllabus) का अनुसरण करेंगे।
8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनियित मान और मानकों का अनुरक्षण करता है एवं आगे भी करता रहेगा।
9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर भान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा अनुकौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम स 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या ग्रहनी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
13. किसी चार्टेड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जाएगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जाएगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी जाएगी।
14. इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए पी एस पी कोड का उपयोग किया जाए।
15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निर्देशक, प्रारंभिक शिक्षा/जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समन्वय पर अपेक्षा की जाए और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो भान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यक्रमों में त्रुटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किये जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
17. विद्यालय शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कलेंपड़ का उपयोग करेगा।
18. अन्य शर्तें जो राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रखी जाएंगी, मात्र हैंगी।

Neeta Kumawat
Head Master
Delhi Public Sec. School
GOPAL SAGAR, N.H. - 08
Amit-Bawali Highway, Beawar

SECR. "A"
DPS SOCIETY BEAWAR

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा, अलवर
जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी